न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/15/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. शंभू पिता वरदा जाति भील मृत्तक के बजाय–
   1/1 भगवानी पत्नी शंभू जाति भील आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2 भेरी पिता शंभू जाति भील आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. माधू पिता कंवलचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 10.04.2026

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा रूदडी तहसील कपासन में वादी के खातेदारी अधिकार की गत बन्दोबस्त की निम्न वर्णित आराजीयात 11, 12, 13, 14, 15 कुल किता 05 कुल रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा जिनका इस बन्दोबस्त से पूर्व बन्दोबस्त अर्थात संवंत् 2012 से 2015 के बन्दोबस्त के पूर्व के बन्दोबस्त अर्थात संवंत् 1980 के बन्दोबस्त के नम्बर निम्न प्रकार थे– आराजी नं0 174/2 व 178/2 कुल किता 02 कुल रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा।

यह कि विक्रम संवंत् 1980 के बन्दोबस्त के रेवेन्यु रेकार्ड अनुसार आ0नं0 174 रकबा 23 बिघा 16 बिस्वा और आराजी नम्बर 178 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा बिलानाम सरकारी थी जिनमें विक्रम संवंत् 2009 में उपरोक्त आराजी नं0 174 के रकबे में से 5 बीघा 13 बिस्वा और आ0नं0 178 के रकबे में से 8 बिघा 12 बिस्वा कुल 14 बिघा 5 बिस्वा भूमि वादी को तीन वर्ष में कुआं खोदने की शर्त पर आवंटित की गई जिनका क्रमशः उपरोक्त नं0 174/2 व आराजी नं0 178/2 कायम किया गया। इस शर्त की पूर्ति में वादी ने सरकार ने तकाबी ऋण लेकर कुआं खोदा। इस तरह उपरोक्त आराजीयात पर वादी का निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा आवंटन से लेकर विक्रम संवंत् 2052 के आषाढ मास तक कायम रहा।

यह कि सर्वप्रथम दिनांक 20–08–1991 को पटवारी हल्का से मालुम हुआ कि गत पैमायशों आ0नं0 11, 12, 13, 14, 15 जो वादी के खातेदारी अधिकार ने जमाबन्दी में अंकित है अब कंवलचन्द्र पिता मियाचन्द्र जाति जाट नि0 ग्राम रूदडी के नाम दावें की डिक्री के अधीन दर्ज करने का आदेश एसडीओ कपासन के द्वारा हुआ है और वादी के नाम के स्थान पर कंवलचन्द का नाम दर्ज हो गया है। पटवारी की इस सूचना से वादी को आश्चर्य हुआ। वादी ने इस संबंध में मालूमात कर एसडीओ सा0 कपासन के फैसले व डिक्री की नकल ली तो मालुम हुआ कि उक्त वाद मु0नं0 129 सन् 86 प्रतिवादीगण के पिता कंवलचन्द ने वादी के विरूद्ध कर दिनांक 30.09.86 की खातेदारी अधिकारी की घोषणा का निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली थी। वादी ने वकील सा0 को उक्त निर्णय एवं डिक्री बता कर कहा कि वादी ने न तो वादोक्त आराजीयात उक्त कंवलचन्द व उसके पिता मियाचन्द को कभी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

बेचने का ईकरार किया और न कभी कब्जा सौपा। इसी तरह वादी ने न तो कभी वाद में इकबालिया जवाब दावा और न किसी प्रकार का शपथ पत्र पेश किया था। वादी को उस प्रकरण की कभी सूचना ही प्राप्त नही हुई। यह सारा कार्य उपरोक्त कंवलचन्द ने षडयन्त्र पूर्वक किया प्रतीत होता है। वादी ने उक्त प्रकरण में किसी को भी वकील भी नियुक्त नहीं किया था। वकील सा0 ने वादी को अपील प्रस्तुत करने की राय दी जिस पर वादी ने राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष उक्त वकील सा0 के द्वारा अपील प्रस्तुत करवाई जो मु0नं0 208/91 शभू बनाम कंवलचन्द पर दर्ज होकर दिनांक 03.06.94 को खारिज हो गई।

यह कि वादी अनुसूचित जनजाति भील है और अशिक्षित है तथा अत्यन्त वृद्ध भी है तथा उसमें मुकदमों व कानून का किसी प्रकार का ज्ञान भी नही है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किंकर्तव्य विमुद व परेशान हो गया और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, इसी बीच वर्तमान बन्दोबस्त सम्पन्न हुआ जिसमें उपरोक्त आराजीयात के निम्न नए आराजी नम्बर 225, 226, 227, 228, 229 कुल किता 05 कुल रकबा 2.67 हैक्ट0 कायम हुए। यह कि उपरोक्त कवलचन्द को लगभग दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर प्रतिवादीगण का जमाबन्दी में नाम दर्ज हो गया जिन्होने ताकत के बल पर वादोक्त आराजीयात पर 2 वर्ष पहले अर्थात संवंत् 2052 के आषाढ मास में वर्षा होते ही वादोक्त जमीन को हांककर फसल बो दी और कब्जा कर लिया तथा वादी के विरोध करने पर भी नही रूकें। वादी अत्यन्त वृद्ध होने से और कोई मदद नही होने से प्रतिवादीगण को कब्जा करने से रोक नही सका। वादी पुलिस स्टेशन कपासन भी कानूनी कार्यवाही कराने गया परन्तु उन्होने वादी की शिकायत भी दर्ज नही की और धमका कर भगा दिया।

यह कि निम्न कारणों से मु0नं0 129/86 रे0वाद कंवलचन्द बनाम शंभू वादी का निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर सा0 चित्तौड़गढ़ मुकाम कपासन दिनांक 30.09.96 प्रभावशील एवं नल एण्ड वोइड है क्योंकि यह डिक्री वादी ने छलपूर्वक व धोखे से प्राप्त की है क्योंकि जिस इकरार के आधार पर वादी कंवलचन्द वादोक्त आराजीयात खरीदना कहता है वह विक्रम संवंत् 2008 माह बिद 13 का बताया जाता है जबकि वादग्रस्त आराजीयात वादी को मि0नं0 121 संवंत् 2009 के अनुसार संवंत् 2009 में आवंटित हुई है ऐसी सुरत में संवंत् 2008 में ये आराजीयात वादी द्वारा बेचने का आधार ही नहीं है फिर संवंत् 2009 के बाद वादी ने सरकारी तकाबी लेकर इस पर कुआं खोदा ऐसी सुरत में कंवलचन्द का 2008 से माह बिद 13 से कब्जा होना भी गलत है।

अन्त में प्रार्थना की कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह घोषणा कराई जावें कि वादग्रस्त आराजीयात जिनका वर्णन वर्तमान पैमायश के नम्बर के रूप में वादपत्र की कॉलम नं0 4 में किया गया है वादी के खातेदारी अधिकार की है और सहायक कलक्टर सा0 चित्तौड़गढ़ मुकाम कपासन का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.86 बमुकदमा नं0 129/86 रे0वाद कंवलचन्द बनाम शंभू कंवलचन्द ने धोखे से प्राप्त की है। नल एण्ड वोइड है और प्रभावशील है। अतः इस कारण से राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.94 मु0 नं0 288/91 शंभू बनाम कंवलचन्द भी प्रभावहीन है अथवा उचित एवं आवश्यक हो तो उपरोक्त डिक्रीयों को निरस्त की जावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जे वादी दिलाई जावें। घोषणा के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी में प्रतिवादीगण का नाम हटा कर उसके स्थान पर वादी का नाम बहैसियत खातेदार अंकित किया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में दिनांक 21.08.2003 से पत्रावली रेसज्युडीकेटा के कारण खारिज की गई। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ की गई जिसमें इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2003 से खारिज की जाकर पत्रावली इस आशय से पुनः प्रेषित की गई कि केवल मात्र धारा प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी के तहत निर्णय करने योग्य नही है, प्रतिवादी रेसज्युडीकेटा के संबंध में जो भी उजरदायी दावे में लेना चाहता है वह जवाबदावे में लाये और इसके पश्चात ही उसमें तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षो को सुनने के बाद ही निर्णय पारित किया जावें। हमने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उजरदायी जवाब में लाई गई जिसमें तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

1. आया जैरबहस आराजीयात मृत्तक शंभू को आवंटित होकर उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की थी?

—जिम्मेवादीगण

2. आया उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता कंवलचंद ने गलत रूप से षडयन्त्र कर बिना किसी अधिकार अपने नाम दावा कर बिना वादी की जानकारी के गैर कानूनी रूप से दर्ज कराली जो वादपत्र की कॉलम संख्या 6 में बताए कारणों से गलत होकर दुरूस्त होने योग्य है?

—जिम्मेवादीगण

3. आया सम्वत् 2052 में प्रतिवादीगण ने जैरबहस आराजीयात पर जबरन नाजायज कब्जा कर लिया?

—जिम्मेवादीगण

4. आया जैरबहस आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता ने क्रय की व कब्जा प्राप्त किया?

—जिम्मेप्रतिवादी

5. आया प्रतिवादीगण के विरूद्ध रेसज्युडीकेटा के सिद्धान्त से दावा खारिज होने योग्य है?

—जिम्मेप्रतिवादी

6. दादरसी

साक्ष्यवादी में भैरी, नारू, मथुरालाल, भगवानलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत। साक्ष्यवादी जिरह नही किये जाने से पूर्व में दिनांक 12.07.2019 को जिरह बन्द की गई। व दिनांक 26.03.2021 को साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नही होने से साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शा0फा0 है। वकील प्रतिवादी द्वारा मौखिक बहस की गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकी संख्या 5 का निर्णय प्रथमतः किया जाना आवश्यक है।

<u>तनकी संख्या 05</u> :–

आया प्रतिवादीगण के विरूद्ध रेसज्युडीकेटा के सिद्धान्त से दावा खारिज होने योग्य है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा प्रतिवादी का था। सम्पूर्ण वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 129/86 राजस्व वाद कंवलचंद बनाम शम्भू न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ मुकाम कपासन निर्णय दिनांक 30.09.1986 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजीयात का वादीया के पति शम्भू पिता वरदा द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत करने से वादपत्र निर्णित हुआ। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में हुई जिसके प्रकरण संख्या 288/91 शम्भू बनाम कंवलचन्द 30.06.1994 को खारिज हुई। द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की गई जो दिनांक 16.08.1999 को खारिज की गई जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां पत्रावली में संलग्न है। ट्रॉयल कोर्ट द्वारा इस आराजीयात का वादपत्र अन्तिम रूप से निर्णय कर देने तथा कानून में उपलब्ध निर्णय के विरूद्ध अपील करने के दोनो अवसर वादीगण द्वारा प्राप्त कर लेने के बाद अब पुनः उसी आराजीयात का वाद पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतया रेसज्युडीकेटा की श्रेणी में आता है। जिस वाद पत्र में इस न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनवाई करने के पश्चात उसकी पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायसंगत व कानून संगत नही है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध की जाती है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से तनकी संख्या 1 से 4 के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 5 सिद्ध करा लेने से वादीगण का वाद रेसज्युडीकेटा की श्रेणी में आता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन